



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

कॉरपोरेट कार्यालय:- 4, मीरा मार्ग, उदयपुर - 313 001
राजि कार्यालय:-सी-89-90 लाल कोठी स्कीम जयपुर. CN-0141098|194956000505
Phone : 0294-2428763-67, Fax : 0294-2428770/2428739
e mail : info.rsmnl@rajasthan.gov.in, Website : www.rsmnl.com

क्रमांक:- आरएसएमएम/सीओ/पर्स/6(15)/2015/625 दिनांक:- 04/01/2023

---परिपत्र---

विषय:- आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर ERP सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन- लाईन स्वयं द्वारा भरने के संबंध में।

आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 31.12.2022 के अनुसार प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया गया है।

आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि इस संबंध में इन बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करावें।


1. हर वर्ष की भांति आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी 2023 की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है, 31 जनवरी पश्चात IPR MODULE मोड्यूल को बन्द कर दिया जावेगा। उसके बाद अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरे जायेंगे।

2. आरएसएमएमएल के जो अधिकारी/कर्मचारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना उपर्युक्त समय सीमा में नहीं भरेगें/प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें राजस्थान सरकार, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.11.2021 एवं आरएसएमएमएल के पूर्व के परिपत्रांक आरएसएमएम/सीओ/पर्स/6(15)/2015/859 दिनांक 07.01.2022 एवं आरएसएमएम/सीओ/पर्स/6(15)/2015/233 दिनांक 02.07.2021 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार उनको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति का परिलाभ व वेतन वृद्धि नहीं दी जावेगी।

3. आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को SSO-ID से ERP सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन लाईन IPR MODULE भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु श्री नीरज श्रीमाली, उपमहाप्रबन्धक (आई.टी.), कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।

अतः आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से ERP सॉफ्टवेयर IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं समय सीमा में पूर्ति करें।

उक्त परिपत्र सक्षम अधिकारी की रवीकृति पश्चात जारी किया जा रहा है।

(डॉ. तुलसीराम अग्रवाल) 
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक, श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वित्तीय सलाहकार, आरएसएमएमएल, सीओ उदयपुर।
3. समस्त समूह महाप्रबन्धक/प्रमुख एवं प्रगारी, एसबीयू पीसी लिग्नाईट/लाईगरलोन/ जिप्सम/सॉक फॉस्फेट एवं समस्त विभागाध्यक्ष, कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर/ देहली/कोलकाता कार्यालय को निर्देशानुसार भेजकर लेख है कि अपने अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करते हुये इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
4. श्री नीरज श्रीमाली, उपमहाप्रबन्धक (आई.टी.)
5. सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड पत्रावली/संबन्धित नोटिस बोर्ड।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) 